

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- १०२५/११-सी- FP/UP/Approach150358//2021, लखनऊ, दिनांक: जून २३, २०२३

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-हापुड में Construction of Mahadev Picnic Spot for ECo-Tourism purpose b/w Ch. 88+690 to 88+750, Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Gar Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District-Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव FP/UP/Approach150358/2021

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी ८९/८१-२-२०२३-८००(११७)/२०२३, दिनांक-२४.०५.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-४९४३/१४-१, दिनांक २१.०६.२०२३ द्वारा प्रेषित किया है।

अतः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धित अभिलेख की दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

१८

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- १०२५/११-सी- FP/UP/Approach150358/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- २- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।
- ३- प्रोपराईटर, महादेव पिकनिक स्पॉट, इको टयूरिज्म परपज, गढ़बांगर, हापुड़।

all

१८

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।